न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 221/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भाखराराम पुत्र हिरकनराम 2. किशनाराम पुत्र हिरकनराम 3. पांचाराम पुत्र हिरकनराम 4. मोहनलाल पुत्र राजूराम 5. वाधूदेवी पत्नि राजूराम निवासी– मण्डों की बेरी, तहसील सेडवा बाडमेर		1. मिरियम पुत्री नालाचंगा। 2. खानी पुत्री नालाचंगा 3. करीमा पुत्री नालाचंगा निवासी– जानपालिया तहसील सेडवा 4. ग्राम पंचायत पूंजासर 5. इब्राहिम पुत्र नालाचंगा 6. सफी मोहम्मद पुत्र नालाचंगा 7. मिठा पत्नि नालाचंगा 8. सुखा पुत्री नालाचंगा के का.मु.– अलीखॉ, शारूखान, फारूक निवासी– एहसान का तला, तहसील धनाउ, बाडमेर 9. जादल पुत्री नालाचंगा निवासी– जालीला तहसील सेडवा।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेष दिनांक 29.09.2021 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेडवा जिला बाडमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2021 अनवान मिरियम वगैराह बनाम ग्राम पंचायत पूंजासर वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री किशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्टस ने यह द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेडवा जिला बाडमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 03/2021 अनवान मिरियम वगैराह बनाम ग्राम पंचायत पूंजासर वगैराह में पारित आदेश दिनांक 29.09.2021 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम एहसान का तला तहसील सेडवा के ख0सं0 62, 70, 162, 165 कुल खसरा 04 व रकबा 118

13 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार नालाचंगा वल्द इब्राहिम कौम मुसलमान की थी। जिनका देहान्त वर्ष 2013 हो गया तत्पश्चात उनके फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 05.07.2018 में इब्राहिम, सफी मोहम्मद पिसरान नालाचंगा, मीठा पत्नि नालाचंगा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। उक्त नामा0 संख्या 657 के स्वीकृत हो जाने के उपरान्त खातेदार इब्राहिम पुत्र नालाचंगा ने अपना स्वयं का 1/3 हिस्सा अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 09.2.2021 को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के बेचान कर दिया तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 20.4.2021 को नामा0 संख्या 715 स्वीकृत हो गया।

3. रेस्पो0 संख्या 1 ता तीन ने अपने आप को नालाचंगा की पुत्रिया होना बताते हुए फौतेदगी नामा0 संख्या 657 दिनांक 5.7.18 को निरस्त करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.5.2021 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 को स्वीकार कर नामा0 संख्या 657 को निरस्त कर नये सिरे से नामा0 खोले जाने के आदेश दिये गये।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि किसी भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का विपरित आदेश पारित करने से पूर्व उनको सुनवाई व पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना काननून आवश्यक है।लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में हम अपीलान्ट को जो वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है, को न तो पक्षकार संस्थित किया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान दिया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि पर कानूनी हक बनता है तो उसे खातेदारी घोषणा का वाद दायर करना चाहिये था। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा अपने पूर्वज के देहान्त के पश्चात खोले गये नामा0 के समय किसी प्रकार का उज्र एतराज क्यों पेश नहीं किया गया, रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए आदेश पारित करवाया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की अपील म्याद बाहर पेश की गई थी जिसे स्वीकार करने में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। वर्तमान में अपीलान्टस का उक्त भूमि में इब्राहिम पुत्र नालाचंगा के हिस्से में आई हिस्सा भूमि को खरीद करने के उपरान्त कब्जा काश्त कर रहे है। ऐसे में उपरोक्त समस्त आधारों पर

अपीलीय आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्ययालय द्वारा के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने उन्हें न तो पक्षकार संस्थित किया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त खसरान भूमि के वर्तमान खातेदारों को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान दिया है। ऐसे में उल्लेखित आब्जर्वेशनों के परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 अपील में अंकित वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों (वर्तमान अपीलान्टगण) को सुनवाई तथा अपना पक्ष तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सेडवा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सेडवा को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन नामा0 अपील में अंकित वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों (वर्तमान अपीलान्टगण) को सुनवाई तथा अपना पक्ष तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यथोचित आदेश पारित करने साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर